Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**
**L.D. Appeal No.- 36 /2016**

**Most. Leela Devi & Ors.** .....Appellant

Versus

Bibi Samsa & Ors. .....Respondents.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 22.08.26 | **आदेश**<br>प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया सदर द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–247/2013–14 में दिनांक–29.12.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर बी0एल0डी0आर0 अपील वाद सं0–36/2016 में दिनांक–24.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना में दायर बी0एल0टी0 वाद सं0–306/2023 में दिनांक–18.07.2023 को पारित आदेश के आलोक दायर किया गया है।<br>विवादित भूमि का विवरणः– | |

| अंचल | मौजा | थाना नं0 | खाता सं0 | खेसरा सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| जलालगढ़ | अहिलगाँव | 169 | 59<br>60 | 654<br>609/688 | 45 डी0<br>21 डी0 |

**अपीलकर्त्ता का कथन है कि :–**

- विवादग्रस्त भूमि के खतियान चानो देवी के नाम से एवं सिकमीदार के रूप में वादिनी के पति–डोमन लाल साह का नाम दर्ज था।
- उक्त जमीन का क्रय विपक्षी की माँ सैमुन निशा द्वारा केवाला सं0–132, वर्ष 1958 में खतियानी रैयत से किया गया। साथ ही वादिनी के पति सिकमीदार डोमन लाल साह द्वारा वर्ष 1959 में विपक्षी की माँ सैमुन निशा के पक्ष में लदावीनामा किया गया।
- प्रश्नगत जमीन दिनांक–19.07.1974 को लिखित जरसम्मन–सह–पंचनामा दस्तावेज के माध्यम से विपक्षी की माँ सैमुन निशा द्वारा खतियानी रैयत चानो देवी को वापस कर दिया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि प्रश्नगत जमीन से उनको (विपक्षी की माँ) कोई सरोकार नहीं है।

  दिनांक–16.10.1976 को चकबंदी पदाधिकारी, कसबा, पूर्णिया द्वारा आपत्ति वाद सं0–213/1976 में विवादग्रस्त जमीन इन्द्राज चानो देवी उर्फ चानोवती देवी के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।
- बी0टी0 एक्ट की धारा 48(घ) के तहत वाद सं0–23/1996–97 में अंचल अधिकारी, कसबा द्वारा दिनांक–03.08.1996 को यह आदेश पारित किया गया कि प्रश्नगत जमीन पर वादी के पति का हक निर्धारण, खतियानी रैयत चानो देवी को निर्धारित मुआवजा का भुगतान करने के पश्चात किया जायेगा, जिसका

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

भुगतान कर दिया गया तथा वर्ष 1997 से लगातार वर्ष 2013–14 तक भू–लगान अदा किया गया।

- दिनांक–06.12.1995 को विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर वादी के पति द्वारा लगाये गये धान की फसल को लूटने का प्रयास करने के फलस्वरूप वादी के पति डोमन लाल साह द्वारा विपक्षी के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी, पूर्णिया सदर के न्यायालय में वाद सं0–1107M/1995 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–29.01.1996 को अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर द्वारा उनके (वादी) पति के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा वरीय न्यायालय में कोई रिवीजन दाखिल नहीं किया गया।
- प्रश्नगत जमीन पर पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार उन्हें (वादी) प्राप्त है तथा वे लोग (वादी) प्रश्नगत जमीन का जोत आबाद करते थे, परंतु विपक्षी द्वारा आपराधिक चरित्र वाले लोगों के साथ मिलकर उन्हें (वादी) प्रश्नगत जमीन से दिनांक–25.11.2013 को बेदखल कर दिया गया।

वादी द्वारा निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश (BLDR वाद सं0–247/2013–14, दिनांक–29.12.2014) को खारिज करते हुए उनके अपील वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

**संलग्न दस्तावजों की सूची :–**

- निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया सदर) द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–247/2013–14 में पारित आदेश दिनांक–19.12.2014 की सत्यापित प्रति।
- अंचल अधिकारी, कसबा द्वारा प्राप्त बी0टी0 एक्ट की धारा 48(घ) के तहत परवाना रसीद की छायाप्रति।
- बी0टी0एक्ट की धारा 48(घ) के तहत वाद सं0–23/1996–97 में पारित आदेश की छायाप्रति।
- Cr PC की धारा 144 के तहत वाद सं0–1107M/1995 में पारित आदेश की छायाप्रति।
- चकबंदी पदाधिकारी, कसबा के न्यायालय में वाद सं0–213/1976 में पारित आदेश की छायाप्रति।
- एकरारनामा केवाला दिनांक–19.07.1974 की छायाप्रति।

**विपक्षी का कथन है कि :–**

- प्रश्नगत विवादित भूमि का क्रय उनकी (विपक्षी) माता सैमुन निशा के द्वारा खतियानी रैयत चानो देवी से निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक–14.1.1958 को किया गया। उक्त जमीन का सिकमी खतियान गलती से डोमन लाल साह, पिता–सोहन लाल साह के नाम से दर्ज हो गया तथा उक्त जमीन पर डोमन लाल साह कभी भी दखलकार नहीं रहे। साथ ही सिकमीदार डोमन लाल साह द्वारा दिनांक–28.01.1959 को उक्त जमीन के संदर्भ में उनके (विपक्षी) माता के पक्ष में लदावीनामा किया गया, जिसके उपरांत उनकी माँ का उक्त वाद जमीन पर दखलकार रहते हुए जोत–आबाद करते आयी एवं उनके (विपक्षी) द्वारा अद्यतन सरकार को भू–लगान का भुगतान किया जा रहा है।

- वादी के पति द्वारा उनकी (विपक्षी) अनुपस्थिति में अंचल अधिकारी, जलालगढ़ के स्तर से अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया गया।

  वादी के पति द्वारा पूर्व में ही लदावीनामा के आधार पर अपना सिकमी हक उनके (विपक्षी) माँ को वापस कर दिया गया था। इस प्रकार उनकी (विपक्षी) माँ सैबुन निशा को प्रश्नगत जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हुआ।
- वादी द्वारा फर्जी पंचनामा के आधार पर उक्त जमीन पर अपना गलत रूप से दावा किया जा रहा है। जबकि वादी द्वारा प्रश्नगत केवाला/लदावीनामा को सक्षम प्राधिकार के स्तर से खंडित नहीं कराया गया।

**संलग्न दस्तावजों की सूची :–**

- बी0एल0टी0, पटना के वाद सं0–306/2023 में पारित आदेश दिनांक–18.07.2023 की सत्यापित प्रति।

**मध्यपक्षी का कथन है कि :–**

- प्रश्नगत विवादित भूमि यथा मौजा–अहिलगाँव, खाता–59 एवं 60, खेसरा–654 एवं 609/688, रकवा–45 डी0 एवं 21 डी0 कुल रकवा–66 डी0 भूमि को अपीलार्थी मसो0 लीला देवी, पति–स्व0 डोमन लाल साह ने विक्रय संलेख सं0–5580, दिनांक–29.4.2024 द्वारा मध्यपक्षियों के पास बिक्री कर दिया गया है।

- अपीलार्थी लीला देवी द्वारा प्रश्नगत भूमि मध्यपक्षियों के पास बिक्री कर देने के उपरांत उनका उक्त भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार समाप्त हो जाता है तथा उक्त भूमि के क्रेता के हैसियत से हित स्वत्व एवं अधिकार मध्यपक्षियों में समाहित हो जाता है।

**संलग्न दस्तावजों की सूची :–**

- विक्रय संलेख सं0–5580, दिनांक–29.4.2024 की सत्यापित प्रति।

**निम्न न्यायालय का आदेश :–**

- विपक्षी को प्राप्त केवाला की मान्यता बनी रहने के कारण वादी द्वारा लाया गया बेदखली का तथ्य, वादी के बेदखली की स्थिति/समय पर संदेह उत्पन्न करता है।
- वादी को प्राप्त बी0टी0 एक्ट की धारा 48(घ) के आदेश में स्थल निरीक्षण/ दखल–कब्जा का प्रतिवेदन वादी के पक्ष में है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं दर्शाया गया है।
- उक्त परिस्थिति में वादी के दावा को अस्वीकार करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त यह दृष्टिगत होता है कि :–

1. अपीलार्थी मसो0 लीला देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

पूर्णिया के न्यायालय में BLDR वाद सं0–247/2013–14 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–29.12.2024 को उनके वाद को अस्वीकृत करने का आदेश पारित है। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में BLDRA वाद सं0–36/2016 दायर किया गया।

2. बी0एल0टी0 द्वारा पारित आदेश के आलोक में मो0 नसीम (विपक्षी) द्वारा आयुक्त न्यायालय में BLDR Appeal वाद सं0–36/2016 को दिनांक–14.09.2023 को पुनर्जीवित कराया गया।
3. वाद पुनर्जीवित होने के उपरांत दोनों पक्ष को सूचना निर्गत किया गया, परन्तु मसो0 लीला देवी उपस्थित नहीं हुई तथा मध्यपक्षी के कथनानुसार प्रश्नगत भूमि मसो0 लीला देवी द्वारा दिनांक–29.04.2024 को उन्हें बिक्री कर दिया गया।
4. जमाबंदी के विषय में अपीलार्थी (मसो0 लीला देवी) का कहना है कि 1997 से 2013–14 तक उनके द्वारा भू–लगान अदा किया गया है। विपक्षी का कहना है कि 1959 के बाद से ही लगातार उनके द्वारा भू–लगान अदा किया जा रहा है, परंतु इस आशय का साक्ष्य दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्ट एवं सम्यक विश्लेषण आवश्यक है–

i. सिकमीदार रैयत के द्वारा बी0 टी0 एक्ट–1885 के प्रावधानों के विरूद्ध जमीन विक्रय किया जाना।
ii. बी0 टी0 एक्ट की धारा–48 (घ) के तहत वाद संख्या–23/1996–97 में अंचल अधिकारी, कसबा द्वारा दिनांक–03.08.1996 को पारित आदेश।
iii. विपक्षी द्वारा खतियानी रैयत चानों देवी से निबंधित केवाला के माध्यम से वर्ष 1958 में भूमि क्रय के फलस्वरूप दाखिल–खारिज तथा जमाबंदी का सृजन संबंधी स्थिति।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया सदर को विधिवत सुनवाई करते हुए मुखर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय ★ पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया ★